FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारटिया : प्रकटीकरण अपेक्षाए (आई जी ए एस-I)

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2017-18:-

मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि वे	वर्ष के [:] मांगी राहि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कर्म अथवा प	
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	अलावा) Deletion during the year (Other than invoked	Invoked during the year उन्मोचित अननुमोचित		Outstanding at the end of the year	Guaran Commiss or Fe	sion
	year	·		during the year)	Discharged	Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8		10 (करोड़ रुपयों में) crore of rupees)

क्षेत्र — (i) — विद्युत Sector - (i) - Power

वर्ग—(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए लिए दी गई गारंटियां:-

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER 7000.00 7000.00 — — — 7000.00 70.00 70.00 (2) (2)

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class – (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:–

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	36689.85 (43)	31187.70 (35)	5502.15 (8)	2110.76	_	_	34579.09 (43)	398.82	398.82
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्राल MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	नय 7358.91 (13)	7018.49 (11)	340.42 (2)	292.68	_	_	7066.23 (13)	79.91	79.91
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	723.29 (3)	623.30 (3)	99.99	56.65	_	_	666.64 (3)	5.48	5.48

क्षेत्र – (ii) – सहकारी समिति

Sector - (ii) - Co-operative

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेत् दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि मंत्रालय —
MINISTRY OF
AGRICULTURE—
कृषि और सहकारिता विभाग
Department of
Agriculture and Co-operation 19000.00 4000.00 15000.00 — — — 19000.00 — — —
(1) (1) (1)

क्षेत्र - (iii) - सिंचाई

Sector - (iii) - Irrigation

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेत् दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF WATER RESOURCES — — — — — — — — — 2.59 —

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारटिया : प्रकटीकरण अपेक्षाए (आई.जी.ए.एस-I)-जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:-

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2017-18:

		-	•	•		_	•		
मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत	वर्ष के आरंभ	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष	वर्ष के व मांगी	-	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कर्म अथवा फी	
	अधिकतम	में बकाया	परिवर्धन	के दौरान	राशि	T			
	राशि			मांगी गई राशि के)				
				अलावा)					
Name of Ministry/	Maximum	Outstanding	Additions	Deletion	Invoked	during	Outstanding	Guaran	
Department	Amount	at the	during the	during the	the y	ear	at the end	Commiss	
	Guaranteed	beginning of	year	year (Other			of the year	or Fee	e
	during the	the year		than invoked	उन्मोचित	अननुमोचित			
	year			during the	Discharged	Not		प्राप्य	प्राप्त की गई
				year)		Discharged		Receivable	Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								((करोड़ रुपयों में)
								(In a	mara of munaca)

(In crore of rupees)

वर्ग — (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जी आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेंडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:--

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs 107.12 107.12 4.98 102.14 1.05 1.05 (1) (1) (1)

क्षेत्र - (iv) - सडक और परिवहन

Sector - (iv) - Road and Transport

वर्ग—(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions:-

\		
रल	मत्र	ालय

MINISTRY OF RAILWAYS	800.14	0.05	800.09	_	_	_	800.14	9.60	9.60
	(2)	(1)	(1)				(2)		

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION	48435.23 (38)	40452.70 (31)	7982.53 (7)	_	_	_	48435.23 (38)	1148.68	168.97
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPOR AND HIGHWAYS		655.51 (1)	_	51.07	_	_	604.44	1.61	1.61
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE									
आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	90.44 (1)	76.42 (1)	14.02	22.24	_	_	68.20 (1)	0.52	0.52

क्षेत्र — (v) — राज्य वित्तीय निगम Sector - (v) - State Financial Corporations

— शून्य / NIL —

क्षेत्र — (vi) — शहरी विकास और आवास Sector - (vi) - Urban Development and Housing

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस—I)—*जारी*

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd. (क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2017-18:

(11) 50	cioi mise mise	iosiii es iii i espe	ci oj Guaran	ices given by inc	cilion dorei	e uug	e year 2017 10	•	
मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान	वर्ष के	वर्ष के	वर्ष के दौरान	वर्ष के व	<u> </u> शैरान	वर्ष के अंत	गारंटी कर्म	गेशन
	गारंटीकृत	आरंभ	दौरान	विलोपन (वर्ष	मांगी '	गई	में बकाया	अथवा फी	गेस
	अधिकतम	में बकाया	परिवर्धन	के दौरान	राशि	Ť			
	राशि			मांगी गई राशि वे)				
				अलावा)					
Name of Ministry/	Maximum	Outstanding	Additions	Deletion	Invoked	during	Outstanding	Guaran	
Department	Amount	at the	during the	during the	the y	ear	at the end	Commiss	
	Guaranteed	beginning of	year	year (Other			of the year	of the year or Fee	
	during the	the year		than invoked	उन्मोचित	अननुमोचित			٠ ،
	year			during the	Discharged	Not		प्राप्य	प्राप्त की गई
				year)		Discharged		Receivable	Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								((करोड़ रुपयों में)
									crore of rupees)
								`	1 /
शहरी विकास मंत्रालय									
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	900.98	789.94	111.04	84.80			816.18	9.48	9.48
DE VEEST WEIVI	(2)	(2)	111.04	04.00			(2)	7.40	7.40
आवास और शहरी गरीबी	(2)	(2)					(2)		
निवारण मंत्रालय									
MINISTRY OF HUPA	426.50	422.62	3.88	72.73		_	353.77	3.23	3.23
MINISTRY OF HOTT	(2)	(2)	3.00	72.73			(2)	3.23	3.23
वित्त मंत्रालय	(-)	(-)					(=)		
MINISTRY OF FINANCE									
आर्थिक कार्य विभाग									
Department of Economic Affair	rs 204.05	203.79	0.26	32.16	_	_	171.89	1.45	1.45
	(2)	(2)		(1)			(1)		

क्षेत्र – (vii) – अन्य अवसरचना

Sector - (vii) - Other Infrastructure

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class-(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

वित्त मंत्रालय									
MINISTRY OF FINANCE									
आर्थिक कार्य विभाग									
Department of Economic Affairs	956.33	752.83	203.50	53.14	_	_	903.19	7.48	7.48
•	(7)	(7)					(7)		

क्षेत्र - (viii) - कोई अन्य

Sector - (viii) - Any Other

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेत् दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग MINISTRY OF INDUSTRY Department of Heavy Industries	253.00 (3)	253.00 (3)	_	253.00 (3)	_	_	_	_	_
कृषि मंत्रालय— MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of Agriculture and Co-operation	37.00 (1)	36.00 (1)	1.00	_	_	_	37.00 (1)	_	_

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस—I)—*जारी*

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2017-18:—

मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के	वर्ष के र मागी राष्टि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कर्म अथवा प	
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed	Outstanding at the beginning of	Additions during the year	अलावा) Deletion during the year (Other - than invoked	Invoked the ye	_	Outstanding at the end of the year	Guaran Commiss or Fe	sion
	during the year	the year		during the year)	Discharged	Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8		10 (करोड़ रुपयों में) crore of rupees)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIO DISTRIBUTION	C 54495.00 (2)		_	45000.00 (1)	_	_	9495.00 (1)	—	—
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्राव् खादी और ग्रामोद्योग आयोग MINISTRY OF MICRO, SMAL AND MEDIUM ENTERPRISES Khadi & Village Industries Commission (KVIC)	L		_	13.00	_	_	249.00 (1)	78.10	_
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS औषध निर्माण विभाग Department of Pharmaceuticals	1117.23	1102.56 (9)	14.67	_	_	_	1117.23 (9)	81.47	_

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	17028.31 (16)	16756.62 (16)	271.69	265.90	_	_	16762.41 (16)	67.10	67.12
राजस्व विभाग Department of Revenue	800.00 (1)	800.00 (1)	_	_	_	_	800.00 (1)	2.03	2.03

वर्ग—(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	13000.00 (2)	13000.00 (2)	_	_	_	_	13000.00 (2)	_	_
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय									
MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग									
Department of Chemicals									
and Petrochemicals	250.00	250.00	_	250.00	_	_	_	2.50	_
	(2)	(2)		(2)					
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF COMMUNICAT AND INFORMATION TECHNO दूरसंचार विभाग	IONS								
Department of	7513.97	7513.97		_	_	_	7513.97	29.80	29.80
Telecommunications	(4)	(4)					(4)	- 100	_,,,,,

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस—I)—*जारी*

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contal.

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2017-18:-

मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत	वर्ष के आरंभ	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष	मांगी	वर्ष के दौरान मांगी गई		गारंटी कमीशन अथवा फीस	
	अधिकतम 	में बकाया	परिवर्धन	के दौरान	राईि -	रो			
	राशि			मांगी गई राशि वे अलावा)	7				
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed	Outstanding at the beginning of	Additions during the year	Deletion during the year (Other	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	at the end Commission	
	during the year	the year		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(करोड़ रुपयों में) crore of rupees)

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class-(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	399.19 (2)	363.34 (2)	35.85	_	_	_	399.19 (2)	0.99	0.99
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड National Small Industries Corporation Limited	59.97 (3)	51.75 (3)	8.22	3.06	_	_	56.91 (3)	0.31	0.24

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग MINISTRY OF FINANCE									
Department of Economic Affairs	154216.56	148113.04	6103.52	1969.61	_	_	152246.95	159.76	162.97
	(172)	(163)	(9)	(3)			(169)		
वाणिज्य विभाग									
Department of Commerce	0.83	0.83	_	0.83	_	_	_	_	_
	(1)	(1)		(1)					
विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL									
AFFAIRS	59150.12	29900.12	29250.00	1222.12	_	_	57928.00	_	_
	(7)	(6)	(1)				(7)		